राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ4(ई)अलेसे–III / 217 दिनांक :– 09.06.2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव–नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम क0 लेखाकार (श्री / श्रीमती / सुश्री)	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है / परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	701344	कमलेश प्रजापत	एम.ए. प्रिवियस (समाजशास्त्र) – जून / जुलाई, 2025 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा
2	749064	ऋतिक बैरवा	एम.ए. प्रिवियस (अर्थशास्त्र) – 2024–25 (स्वयं–पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव, वित (वित्तीय नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3	725206	कृष्ण कुमार यादव	बी.एड. विशेष शिक्षा (एम.आर. / आई.डी.) (अंतिम वर्ष मुख्य परीक्षा) सत्र– 2024–25	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड बानसूर (कोटपूतली–बहरोड)
4	709489	सुभाष बिश्नोई	यू.जी.सी. नेट जून 2025	राष्टीय परीक्षा एजेन्सी	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ4(ई)अलेसे–III/217

दिनांक :– 09.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)